97

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 निगरानी /2018/अशोक नगर/भू–रा0
निगरानी-3578/2018/अशोकनगर/भू.रा.

सोनू रघुवंशी पुत्र जसवंत सिंह
निवासी – ग्राम दहेला, पोस्ट पिपरेसरा,
तहसील नईसरॉय, जिला अशोकनगर, म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्व

1– तसवीर सिंह

2– सुखवीर पुत्रगंण सरजीत सिंह
निवासी ग्राम बमनाई, तहसील व
जिला अशोकनगर, म0प्र0

––– अनावेदकगंण

3– मध्यप्रदेश शासन

––– तरतीवी अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्व आदेश दिनांक 27.05.2018 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2, महिंदपुर, तहसील नईसरॉय, जिला अशोकनगर, म0प्र0 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदकगंण द्वारा तहसील न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन दिया जिस पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3578/2018/अशोकनगर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
25_06_18	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 महिंदपुर तहसील नईसराय जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक निल में पारित आदेश दिनांक 27.5.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन दिया जिसके द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 महिंदपुर ने दिनांक 27.5.18 को ग्राम दिलहु की भूमि सर्वे नम्बर 210, 212, 214/2, 215, 216, 217, 207/1, 295, 296 रंकवा कमशः 0.272, 0.670, 3.815, 2.017, 0.888, 4.107, 3.375, 0.836, 0.700, 0.199, का सीमांकन कर चतुर्थ सीमांए कायम कर सीमा चिन्ह लगवा दिये जिसमें आवेदक की 8 बीघा भूमि अनावेदक के सर्वे नम्बरों में नाप दी है और आवेदक का रकवा कम हो गया है। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि सीमांकन करते समय सरहददी कास्तकारों को सूचना देना आवश्यक है जो राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना नहीं दी गई इससे उसका आदेश दिनांक 27.5.18 निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा	

अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 महिंदपुर प्रकरण के साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना जो आलोच्य आदेश दिनांक 27.5.18 पारित किया है वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अनावेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षक से सांठ–गांठ कर षडयंत्रपूर्वक आवेदक को बिना सूचना दिये एवं बिना बताये भूमि का सीमांकन करा लिया गया है और आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की लगभग 8 बीघा भूमि अनावेदकगण ने सीमांकन द्वारा अपने कब्जे में कर ली जिससे आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि अनावेदक के कब्जे में चली गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 महिंदपुर तहसील नईसराय जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.5.18 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 महिंदपुर तहसील नईसराय जिला अशोकनगर द्वारा सरहददी कास्तकारों को सूचना नहीं दी गई है और न ही उनके द्वारा फील्ड बुक तैयार की गई, जबकि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–129 के तहत सरहददी कास्तकारों को सूचना देना आवश्यक है लेकिन राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 महिंदपुर तहसील नईसराय जिला अशोकनगर द्वारा संहिता की धाराओं का उल्लंघन कर सीमांकन किया गया है।

''यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर दिनांक 27.5.18 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया जिस पर पंचनामा तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन. अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।''

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध

पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं –

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।''

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार

सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उंच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

" भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमाए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर

तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना। 2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 महिदपुर द्वारा पूर्व से कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई है इसलिये उनका आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 महिदपुर तहसील नईसराय जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक निल में पारित आदेश दिनांक 27.5.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 महिदपुर तहसील नईसराय को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सरहददी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य